

राजस्थान सरकार

निदेशालय चिकित्सा स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण सेवायें, राजस्थान जयपुर

क्रमांक : प्रशि./एएनएम/एम-133/2024/120

दिनांक : 26/3/25

मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी,  
अलवर/अजमेर/बांसवाडा/बाडमेर/भरतपुर/  
बीकानेर/बून्दी/चित्तौड़गढ़/रतनगढ़/धौलपुर/  
डूंगरपुर/गंगानगर/जयपुर-प्रथम/जैसलमेर/  
जालौर/झालावाड/झुन्झुनू/जोधपुर/करौली/  
कोटा/नागौर/पाली/सीकर/सिरोही/टोंक/  
उदयपुर/दौसा/स.माधोपुर/हनुमानगढ़/बारां/  
राजसमन्द/भीलवाडा/प्रतापगढ़/केकडी (राज0)।

विषय :- महिला स्वास्थ्य कार्यकर्ता प्रशिक्षण सत्र 2024-25 को रिक्त रही सीटों के सम्बन्ध में।

उपरोक्त विषयान्तर्गत लेख है कि निदेशालय के आदेश क्रमांक 74 दिनांक 25.02.2025 के द्वारा आपको दिनांक 05.03.2025 को महिला स्वास्थ्य कार्यकर्ता प्रशिक्षण सत्र 2024-25 की काउंसलिंग किये जाने हेतु निर्देशित किया गया था। उक्त प्रशिक्षण में अभ्यर्थियों द्वारा उपस्थिति के बाद आपके प्रशिक्षण संस्थान में रिक्त रही श्रेणीवार सीटों के सम्बन्ध में तत्काल ई-मेल आईडी [jd55training@gmail.com](mailto:jd55training@gmail.com) पर दो दिवस में अवगत करावें, ताकि महिला स्वास्थ्य कार्यकर्ता प्रशिक्षण सत्र 2024-25 में रिक्त रही श्रेणीवार सीटों पर द्वितीय काउंसलिंग करवाई जा सके।

(राकेश कुमार शर्मा)  
निदेशक (अराजपत्रित)  
चिकित्सा एवं स्वास्थ्य सेवायें  
राजस्थान, जयपुर  
दिनांक :

क्रमांक : प्रशि./एएनएम/एम-133/2024/

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित है :

1. निजी सचिव, मा. मंत्री महोदय, चिकित्सा एवं स्वास्थ्य विभाग, राज. जयपुर।
2. निजी सचिव, प्रमुख शासन सचिव महोदय, चिकित्सा एवं स्वास्थ्य विभाग, राज. जयपुर।
3. उप शासन सचिव, चिकित्सा एवं स्वास्थ्य (ग्रुप-3) विभाग, राज. जयपुर।
4. प्रभारी सर्वर कक्ष को भेजकर लेख है कि उक्त पत्र को विभाग की वेबसाइट पर एएनएम/जीएनएम प्रशिक्षण सत्र 2024-25 में अपलोड करने एवं संबंधित मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारियों को ई-मेल करने का श्रम करे।
5. रक्षित/आदेश कार्यालय प्रति।

निदेशक (अराजपत्रित)  
चिकित्सा एवं स्वास्थ्य सेवायें  
राजस्थान